'कंपनी का दृष्टिकोण''देश के लिए ऊर्जा, सुरक्षा एवं स्थायी विकास के साथ अपने एवं पार्श्ववर्ती इलाके का विकास करना तथा बाधाओं को अवसरो में बदलना"

'कंपनी का लक्ष्य''नवप्रर्वतनकारी एवं पर्यावरण हितैषी प्रद्यौगिकी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर भरोसेमंद ऊर्जा का उत्पादन करना, उपलब्ध करना तथा समाज विकास में योगदान करना है ।"

विषय सूची

क्र .	विषय		
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा निरीक्षक	-	1
2.	सूचना	-	2
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	-	4
4.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन व प्रबंधक का उत्तर	-	13
5.	भारत के नियंत्रक व महालेखाकार की टिप् पणी	-	22
6.	31 मार्च,2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र	-	23
7.	31 मार्च,2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण	-	25
8.	तुलन पत्र एवं लाभ-हानि के विवरण के भाग पर टिप्पणी	-	27
9.	नगदी प्रवाह विवरणी	-	86

वर्तमान प्रबंधन

(27.04.2019 के अनुसार**)**

अध्यक्ष	श्री के आर वासुदेवन
निदेशक	श्री ओ पी सिंह
निदेशक	श्री अनवर हुसैन

वर्ष **2018-19** के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष	श्री के आर वासुदेवन (12.02.2018 से)
निदेशक	श्री एल एन मिश्रा(18.01.2019 तक)
निदेशक	श्री जे पी सिंह(13.03.2019 तक)
निदेशक	श्री ओ पी सिंह(30.03.2017 से)
निदेशक	श्री अनवर हुसैन(22.03.2019 से)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सांविधिक लेखापरीक्षक

दास एंड दास**,**

चार्टर्ड अकाउंटेन,

भुवनेश्वर -751006

पंजीकृत कार्यालय का पता**:**

प्लॉट संख्या जी**-3,** गड़ाकना**,**चंद्रसेखरपुर भुवनेश्वर**-751017 (**ओड़िशा**).**

महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: जी-3 गडकना, चंद्रशेखरपुर
भुवनेश्वर-751017

सूचना

8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक

सूचना दी जाती है कि महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड के सदस्यों की 8 वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 25 मई, 2019, शनिवार को पूर्वाह्न-11.30 बजे एम.सी.एल. कार्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020 में निम्नलिखित कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित होगी।

सामान्य कार्य:

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करने, उन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।
2. बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णायानुसार सांविधिक लेखा परीक्षक में दास एंड दास, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखा परीक्षक, भुवनेश्वर, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नियुक्त किया गया था, को देय पारिश्रमिक की स्वीकृति देना और इसे लागू करने हेतु निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु।

"निदेशक मंडल के निर्णयानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) एवं (2) के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों तो, उसके तहत् वित्तीय वर्ष201 8-19 के कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स दास एंड दास, सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर के पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं जेब खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए संकल्प लिया गया।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड

ह-/
(ए.के. सिंह)

स्थान: सम्बलपुर
दिनांक: 27.04.2019
पंजीकृत कार्यालय :
प्लॉट संख्या. जी-3, मंचेश्वर रेलवे क्लॉनी, भुवनेश्वर- 751017

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार सदस्य को खुद के बजाय भाग लेने और वोट करने के

   लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने का विचार रखने वाले कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से वोट देने के लिए प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि के सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारक,
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
.

मुझे, निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी का 8वां प्रतिवेदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सहित 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

आपकी कंपनी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एक-एसपीवी) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को 02.12.2011 की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसपीवी का निगमन महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के रूप में हुआ है जिस का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या - जी-3 गड़ाकना, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर -751017 (ओड़िशा) में है और कंपनी पंजीयक कटक ने व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दिनांक 06.02.2012 को जारी किया।

कंपनी सुंदरगढ़ में 2X800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना प्रचालित और विकसित अनुरक्षित करने के लिए एमसीएल की और से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी,यह ईपीसी के आधार पर होगा

वित्तीय प्रदर्शन :- :

विवरण	**2018-19 (रु में)**	**2017-18 (रु में)**
वर्ष के लिये आय	0	0
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अलावा वर्ष के लिए व्यय	2.84	2.51
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय से पूर्व लाभ एवं हानि	(2.84)	(2.51)
कम मूल्य और परिशोधन व्यय	0.55	0.96
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के पश्चात लाभ एवं हानि, कर से पहले।	(3.40)	(3.46)
न्यूनः वर्तमान कर	0	0
कर के पश्चात लाभ एवं हानि	(3.40)	(3.46)

कंपनी निर्माण के चरण में है एवं परिचालन गतिविधियाँ अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना के कारण कंपनी के सभी व्यय पूंजीकृत किया एवं अन्य अप्रत्यक्ष व्यय "लाभ एवं हानि विवरण" में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने ₹ रु 2369.11 लाख असुरक्षित दीर्घकालीन ऋण के तौर पर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से लिया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण के अंतर्गत भारत में (भारतीय जीएएपी) आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3 सी) (जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 133 के संबंध में लागू रहेगा) अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुपालन हेतु और कंपनी अधिनियम 1956 /कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधनों जो भी लागू हो एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी" "SEBI") द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यदि शुरू में अपनाया गया या मौजूदा मानक लेखांकन के संशोधन के लिए लेखांकन नीति के अब तक के उपयोग में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो जारी किए गए नए लेखांकन मानक को छोड़कर लेखांकन नीतियों को सतत लागू किया गया है। प्रबंधन ने हाल ही में चलित आधार पर जारी किए गए या संशोधित किए मानक लेखांकन का मूल्यांकन किया है। कंपनी ने त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर स्टैंडअलोन लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम की घोषणा की है।

लाभांश: -

वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी प्रकार का लाभांश घोषित नहीं किया है।

रिजर्व: -

कंपनी ने भंडार में किसी भी प्रकार के राशि का हस्तांतरण नहीं किया है।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी) की भूमिका इस प्रकार हैः

क. स्थल का चिन्हिकरण
ख. भूमि का अधिग्रहण
ग. जल संबद्धता, ईंधन संबद्धता आदि प्राप्त करना
घ. विभिन्न तकनीकी अध्ययन करना और परियोजना सूचना रिपोर्ट तैयार करना
ङ. सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करना अर्थात पर्यावरणीय, वन, रक्षा, विमानन आदि
च. एमसीएल/एमबीपीएल के बिजली संयंत्र की विशिष्टता के लिए तैयारी, खुली निविदा के माध्यम से उपयुक्त ईपीसी (EPC) ठेकेदार की चयन, पूर्व संविदा सेवा, पोस्ट संविदा सेवा, परियोजना निगरानी सेवा संयंत्र नियंत्रण सेवा, ओ एंड एस दस्तावेजों की समीक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण, सेवा और साइट इंजीनियरों की पोस्टिंग और बिजली संयंत्र के लिए बची हुई जरूरी नौकरियों के लिए सेवा प्रदान करने हेतु कोंसल्टेंसी एवं इंजीनियर का चयन।

कंपनी की गतिविधियां - वर्तमान स्थिति:

भूमि:

एमसीएल द्वारा भूमि कोयला धारित क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। दिनांक-12.07.2016 को निम्न शर्तों एवं निबंधन के आधार पर 50 वर्ष की अवधि के लिए एमबीपीएल के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के उद्देश्य के लिए टिकियापारा, सर्डेगा तथा गोपालपुर गाँव के एक भाग पर एमबी पीएल के लिए एमसीएल द्वारा अधिगृहीत 858.60 एकड़ भूमि के पट्टे के लिए एमसीएल ने "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान किया है।

i) यह पट्टे पर उपरोक्त भूमि के लिए एमबीपीएल के अधिकार को शामिल नहीं करेगा। न ही इसे एमबीपीएल को विमुख करने का या अपनी इच्छा से उसका निपटान करने का हक होगा, इसलिए, एमबीपीएल ऐसे किसी बाधा का सृजन नहीं करेगा जो भूमि के अलगाव या निपटान के समान हो।
ii)इस पट्टे में किसी भी पहलू से उत्पन्न होने वाले मामले या विवाद की स्थिति में इसे एमसीएल को विचारार्थ भेजा जाएगा iii) इस मामले में उसका निर्णय एमबीपीएल के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
.
यह अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि एमबीपीएल कंपनी अधिनियम में पारिभाषित रूप में एक सरकारी कंपनी बनी रहेगी, यह अनुमति तब समाप्त हो जाएगी, जब एमबीपीएल एक "गैर सरकारी कंपनी" बन जाए। इस आशय का एक खंड पट्टा-समझौते में शामिल किया जाएगा।

भूमि लीज़ के लिए एमओयू प्रस्ताव का मसौदा एमसीएल को जमा कर दिया गया है। लीसिंग करार की औपचारिकताएँ एक समिति द्वारा एमसीएल मुख्यालय में की जा रही है।

वन भूमि परिवर्तन:
वन भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव पीसीसीएफ कार्यालय को 22.04.2013 को प्रस्तुत किया गया। एमबीपीएल से 07.06.2013 को राज्य क्रम संख्या 595/13 प्राप्त हो गया। वन का 100% भूमि सीमांकन एवं वृक्ष गणना का काम मेसर्स पीएफ़सीसी लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया। सुंदरगढ़ कलेक्टर को गोपालपुर, सरडेगा एवं टिकिलीपरा गाँव में पल्ली सभा आयोजित करने हेतु पत्र भेजे गए है। स्तंभ पोस्टिंग का कार्य पूरा हो गया है डीजीपीएस सर्वेक्षण के प्रभावीकरण के लिए ओआरएसएसी को डीजीपीएस की और से दिनांक 30.05.2016 को आवश्यक शुल्क जमा किया गया। ओआरएसएसी टीम पिल्लर्स के अधूरे/गायब होने, व्यस्त संयंत्र के लिए क्षेत्र की पहचान और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण सर्वेक्षण कार्य को नहीं कर सकें। ओआरएसएसी की इच्छानुसार मिसींग पिल्लर्स की पोस्टिंग संख्या के साथ पूर्ण कर ली गई है। ओआरएसएसी द्वारा सूचना के अनुसार डीजीपीएस सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। ओआरएसएसी से डीजीपीएस मानचित्र के प्रमाणीकरण की प्राप्ति के बाद वन निकासी के लिए वन भूमि परिवर्तन का प्रस्ताव वन विभाग, ओडिशा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड होगा।

आईपीआईसीओएल से एकल खिड़की अनुमतियां:
आईपीआईसीओएल को दिसंबर, 2011 में आवेदन दिया गया। आईपीआईसीओएल ने आवेदन ओड़िशा सरकार के जरिए भेजने की सलाह दी। ओड़िशा सरकार ने अप्रैल 2012 में आवेदन स्वीकार करने के लिए आईपीआईसीओएल को निर्देश दिए। आवेदन मई 2012 में आईपीआईसीओएल को प्रस्तुत किया गया। रुपए 1000 की आवश्यक फीस और 50 क्यूसेक जल आबंटन हेतु प्रपत्र "जे" सहित रुपए 75,00,000/- की राशि का प्रतिभूति जमा 19.02.2013 को जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत किया गया है। जल संसाधन विभाग ने 50 क्यूसेक जल आबंटन की अनुशंसा की। राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी, उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकार ओड़िशा सरकार ने दिनांक 29.09.2015 में 16 वीं बैठक में सैद्धांतिक रूप से परियोजना को मंजूरी दी है, इस के अलावा ओड़िशा सरकार के जल आवंटन समिति में दिनांक 25.02.2015 को आयोजित 61 वीं बैठक में जनसंपर्क के लिए दिनांक 24.11.2015 में निजी सचिव

(डबल्यूआरडी) को एमबीपीएल के प्रस्तावित टीटीपी को हीराकुद जलाशय से 49 क्यूसेक जल के आवंटन हेतु सिफारिस की गई है। दिनांक 13.01.2016 को आयोजित एसएलएसडबल्यूसीए के 59 वीं बैठक में आईपीआईसीओएल ने एमबीपीएल, एमसीएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के 2 X 800 मेगावाट की बिजली परियोजना के अनुमोदन की पृष्टि दर्शाते हुए संप्रेषित किया है जिस से राज्य सरकार को पूरी लागत पर बिजली का 50% मिलेगा।

पर्यावरणीय अनुमति:

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओड़िशा को जन सुनवाई करने हेतु 14.02.2013 को वांछित शुल्क सहित रेपिड ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित जिला व पंचायत प्राधिकरणों के सहचर्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा टिकिलीपड़ा, सुंदरगढ़ जिला में जगन्नाथ मंदिर में 27.11.2013 को जनसुनवाई आयोजित हुई। सभी दस्तावेजों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। एमबीपीएल मामले की सुनवाई (i) कोल लिंकेज (ii) जल लिंकेज (iii) फ्लाईएश के उपयोग की योजना के मिलने के वाद होगी। सदस्य सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोयला संबद्धता एवं जल आवंटन फर्म की प्राप्ति के पश्चात दिनांक 08.10.2017 पर चुनाव आयोग के अनुदान के विचार के लिए आगामी ईएसी में सुनवाई हेतु परियोजना सूची में प्रविष्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

.

ईंधन संबद्धता:

एमसीएल ने विद्युत परियोजना हेतु कोयले की संबद्धता आबंटन के लिए कोयला मंत्रालय को 23 नवंबर, 2011 को पत्र लिखा। एमसीएल ने पुनः 14 मई, 2012 और 22.09.2012 को अनुरोध किया। एसएलसी एमओसी विशेष छुट मार्ग एमओसी के माध्यम से प्रस्तावित एसटीपीपी के लिए 9.0 एमटीपीई का कोयला आवंटन हेतु सिपरिश की है एवं सभी औपचारिकताओं के अवलोकन के बाद कोयला लिंकेज आवंटन के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। एमसीएल ने दिनांक 03.04.2015 को कोयला लिंकेज के जारी करने हेतु पुष्टि पत्र के लिए एमओसी के अतिरिक्त सचिव से अनुरोध किया है। जैसी वंछित केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय को कोल लिंकेज के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत किया गया दिनांक 01.11.2015 को एमबीपीएल के परियोजना साइट का सीईए टीम ने दौरा किया। वांछित रूप में आवश्यक सूचना युक्त दस्तावेजों को सीईए को दिनांक-04.02.2016 को जमा किया गया। सीईए ने कोल लिंकेज पर विचारार्थ मामले को दिनांक 11.03.2016 के पास सिफारिश की। जांच के पश्चात, एमओपी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया तथा उसे दिनांक 13.05.2016 को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार द्वारा नई कोयला संबद्धता नीति को अपनाए जाने के पश्चात, मुख्य विद्युत प्राधिकारी (सीईए), नई दिल्ली की सलाह पर दिनांक 27.05.2017 को सीईए के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय को नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

स्थायी लिंकेज कमेटी (एसएलसी), कोयला मंत्रालय ने दिनांक 29.06.2017 की अपनी बैठक में एमसीएल के एमबीपीएल को कोयला लिंकेज जारी करने के लिए सीआईएल को अनुशंसा की है इस संबंध में पत्र संख्या: 23014/3/2017-CLD दिनांक 17/07/2017 का अवलोकन करें। 25.08.2017 की सीएलओए बैठक

के दौरान एसएलसी की सिफारिश के अनुसार कोल इंडिया द्वारा फर्म कोयला आवंटन दिया गया है। सीएलओए ने सिफारिश दी है कि आवश्यक वाणिज्यिक औपचारिकताओं को देखने के बाद एमसीएल के एमबीपीएल के संयंत्र को एलओए जारी किया जा सके।

कोयला परिवहन अध्ययन:

प्राथमिक जांच के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट जून, 2012 में एमसीएल को प्रस्तुत की गई। कोयले का परिवहन लगभग 8-10 किलोमीटर की पाईप कन्वेयर के जरिए परिवहन का प्रस्ताव है।

नगर विमानन (चिमनी ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र):
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक- 30.05.2016 को जारी किया गया।
रक्षा (चिमनी ऊंचाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र):
रक्षा मंत्रालय से हाईट क्लीयरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमोदित किया गया तथा उसे दिनांक- 12.06.2017 को जारी किया गया।

संयुक्त उद्यम की स्थिति:

दिनांक 12.08.2016 को बिजली उत्पादन के लिए एमसीएल /सीआईएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बीच जेव्हीसी बनाने हेतु विशेष सचिव कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है, चूंकि एमसीएल के पास पावर व्यवसाय में कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है।.

दिनांक 10.11.2016 को एमबीपीएल बोर्ड की आयोजित 25 वीं बैठक में जेवी मोड को अपनाने के लिए और इक्विटी पूंजी के पुनर्गठन के लिए '"सिद्धांतः" सहमत हुए और इसे लागू करने हेतु एमसीएल बोर्ड और सीआईएल बोर्ड से अनुमोदन सिफारिश की ।

दिनांक 10.06.2017 को आयोजित एमसीएल बोर्ड की 192 वीं बैठक में एमबीपीएल में इक्विटी पूंजी का पुनर्गठन और एनटीपीसी के साथ जेवी मोड को अपनाने के लिए आगे के विचार-विमर्श और अनुमोदन के लिए सीआईएल से उक्त प्रस्ताव की सिफारिश करने के लिए बोर्ड ने सहमति व्यक्त की ।

तदनुसार, सीएमडी, एमसीएल इस प्रस्ताव से विधिवत सहमत हुए यह प्रस्ताव को महाप्रबंधक(पीएमडी),सीआईएल, अनुमोदन के लिए दिनांक 24.08.2017 को भेज दिया गया है दिनांक 04.10.2017 को सीआईएल द्वारा यथावांछित स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया गया है।महाप्रबंधक (पीएमडी),सीआईएल ने सूचित किया गया है कि इस प्रस्ताव को सीआईएल के अगले ईएससी के लिए रखा जाएगा।

सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी-

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और जिसके पास कोई भइयो सहायक/ संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

सावधि जमा:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारंपरिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवशक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए जाते हैं। भू अधिग्रहण, वन अनुमति, पर्यावरण संबंधी समस्याएँ कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोवर नीति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की गतिविधियां सी एंड एजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर लागू नहीं है।

पूंजी संरचना:

दिनांक 31.03.2018 में कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी पर 5 लाख के इक्विटी शेयर को 50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित कर प्रत्येक का 10 रूपए का इक्विटी शेयर रहेगा। 31.3.2018 को कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000 रुपये पर छूट दी गई है। दिनांक 31.03.2018 को कंपनी के चुकता किए गए इक्विटी शेयर पूंजी 5 लाख रु. पर अप्रभावी रहेगा। संपूर्ण इक्विटी शेयर कैपिटल महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) और इसके नामांकित कंपनियों द्वारा आयोजित कीए जाते है।

संगठनात्मक संरचनाः-

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुसार एस.पी.वी में एसोसिएशन ज्ञापन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के 7 अंशदाता है एवं एसपीवी बोर्ड में एमसीएल के सी.एम.डी द्वारा 3 निदेशक चयनित है, एस.पी.वी. बोर्ड ने पर्यवेक्षक को नियंत्रण में एस.पी.वी के दैनिक गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तैनाती भी की गई है।

कार्यात्मक सहायता:

कंपनी को एसपीवी की स्थापना और सुचारु रूप से कारी- संचालन के लिए सभी का सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें सुसज्जित कार्यालय स्थल सहित टेलीफोन,फ़ैक्स,कम्प्युटर, वाहन एवं एसपीवी के दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक अन्य प्रशासनिक सुविधाएं शामिल है। प्रशासनिक एवं कर्मचारी सहायता सहित एसपीवी के पृथक लेखा शीर्ष में दी गई लागत का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें एसपीवी में एमसीएल द्वारा इक्विटी में योगदान हेतु ब्याज का गठन किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन तथा व्यय:

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की गई है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा तकनीकी का अधिग्रहण नही किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आयात तथा निर्यात से संबन्धित गतिविधियां नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा का व्यय तथा विदेशी मुद्रा का आय नहीं किया गया।

निदेशक मण्डल:

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के निदेशक मण्डल में दिनांक 31.03.2019 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशक नामित किया गया है:

नाम	पदनाम	प्रभावी तिथि
श्री के.आर. वासुदेवन (डीआईएन: 07915732)	अध्यक्ष	18/01/2019
श्री ओ.पी. सिंह (डीआईएन: 07627471)	निदेशक	30/06/2017
श्री अनवर हु सैन (डीआईएनः 08407634)	निदेशक	22/03/2019

बोर्ड संरचना का ब्यौरा, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थितियाँ:

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	**बैठक का स्थान**
1	31वां बोर्ड बैठक	27.04.2018	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
2	32वां बोर्ड बैठक	24.05.2018	एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर
3	33वां बोर्ड बैठक	29.07.2018	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
4	34वां बोर्ड बैठक	23.10.2018	एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर
5	35वां बोर्ड बैठक	26.12.2018	एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर
6	36वां बोर्ड बैठक	21.01.2019	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर
7	37वां बोर्ड बैठक	23.03.2019	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला सम्बलपुर

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड संरचना का ब्यौरा, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थितियाँ:

निदेशकों का नाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक	
		कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
श्री एल.एन. मिश्रा	नॉन-एक्जेक्यूटिव	05	05
श्री जे.पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	06	06
श्री ओ.पी. सिंह	नॉन-एक्जेक्यूटिव	07	06
श्री के.आर .वासुदेवन	नॉन-एक्जेक्यूटिव	07	07
श्री अनवर हु सैन	नॉन-एक्जेक्यूटिव	00	00

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा-186 के अंतर्गत ऋण, प्रत्याभूति या निवेश:
वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण, प्रतिभूति या निवेश नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम,2013 के धारा-188 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों के साथ संविदा विवरण एवं व्यवस्था:
वर्ष के दौरान कंपनी का किसी भी संबन्धित पार्टियों के साथ कोई भी अनुबंध या करार नहीं हुआ है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :-
प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है की आपकी कंपनी के निदेशक गण द्वारा कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा-134(3) (सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है :

क. 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के प्रस्थान संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों (लेखों पर नोट के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण नियम सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही जानकारी दी जा सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं आय अनियमितताओं का पता लगाने,निवारण हेतु कंपनी आधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रेकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. वित्तीय वर्ष समाप्त 31.03.2019 के लिए क्रियाशील कारोबार के आधार पर लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

ङ. उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे है एवं वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित है।

च. सभी उचित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, निदेशकों ने उचित प्रणाली तैयार किया है

सांविधिक लेखा परीक्षक:
कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी,नई दिल्ली के द्वारा मेसर्स दास एंड दास, चार्टड अकाउंटेंट्स (एसपीओ 205) 22 मेट्रो कॉटेज, प्रथम तल, चिंतामनेश्वर मंदिर लेन, कटक रोड, भुवनेश्वर को वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन:

वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के तहत वित्तीय विवरण मेसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर प्रबंधन द्वारा दिया गया जवाब यदि कोई हो तो, योग्यता,आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या परीक्षकों द्वारा अस्वीकृत प्रतिवेदन अनुलग्नक में शामिल की गई है।

सी एंड ए.जी. टिप्पणियाँ :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी जो कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है, में महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर की गई टिप्पणियों को भी संलग्नित किया गया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन

कंपनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

.वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (1) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन)नियम 2014, के नियम 12 (1) के अनुसार, वार्षिक रिटर्न (फॉर्म नंबर एमजीटी -9) को एमसीएल के वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक में अपलोड किया गया है: http://www.mahanadicoal.in/Financial/annual_report.php

आभार-

क. आपके निदेशकगण, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का उनके मूल्यवान सहायता समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और ओड़िशा की राज्य सरकार का भी उनके मूल्यवान समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

ख. लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक और कंपनी पंजीयक ओड़िशा के अधिकारियों ओर कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की प्रशंसा करते हैं।

ग. निदेशक, सुंदरगढ़ के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों और ओड़िशा के कोयलांचल के निवासियों का भी समय-समय पर उनके सहयोग के प्रति उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

परिशिष्ट :

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न है:-

1. कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
2. धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए।

ह/-
(के.आर .वासुदेवन)
अध्यक्ष
(डीआईएन: 07915732)

स्थान: भुवनेश्वर
तिथि: 27.04.2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण

मेसर्स महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड

भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:

हमने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखांकन मानक के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में उल्लेखित)

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 134(5) ('द एक्ट') की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है ।

लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित किया है कि हमें जो भारतीय लेखांकन मानक का वित्तीय विवरण प्राप्त हुआ है, उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त है।

लेखापरीक्षा में भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षा का साक्ष्य पर्याप्त है तथा भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय पर बनाने के लिए आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

मत

हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में शामिल तथा भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत सत्य की जानकारी देते है, जो कि दिनांक 31.03.2019 में कंपनी के मामलो की स्थिति एवं वर्ष के अंतिम तिथि के नकद प्रवाह से संबन्धित हैं।

(i) 31 मार्च 2019 तक कंपनी की स्थिति के तुलन पत्र के मामले में;

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि के, लाभ और हानि के बयान के मामले में; तथा

(iii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति में, नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

मामलों का महत्तव:

हम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों के संबंध में टिप्पणी संख्या-25(1) के सूचना बिन्दू 2 एवं 3 को ध्यान में लाना चाहते हैं। जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित रू 2.20 लाख का राजस्व व्यय और रू 500.45 लाख का प्रारंभिक व्यय, पूर्व अवधि से संबंधित को पूंजीकृत किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रभारित लाभ व हानि विवरणी तथा परियोजना से सीधे संबंध नहीं रखता है।

इस संबंध में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि 31.03.2018 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों को प्रभावी बनाने हेतु उसे पुनः वर्णित किया गया है। लेकिन 31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा

परीक्षण में वित्तीय विवरणों का संशोधन नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी के आय से संबंधित शेष आंकड़े पिछले वर्ष के लेखा परीक्षण किए गए वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किये गए हैं। उपरोक्त के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्कताओं पर रिपोर्ट

i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के उप-खंड (11) के संबंध में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक-क में देते हैं।

ii) अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) के अनुसार वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैं-क) हमने उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरूरी तथा भरोसेमंद था।

ख) हमारे विचार से कानून के अनुसार सभी वांछित लेखा बही कंपनी द्वारा उपस्थापित किया गया जो लेखा बही जांच के लिए आवश्यक था।

ग) तुलन-पत्र जिसमें लाभ और हानि का विवरण तथा रोकड़ उपयोग को इस रिपोर्ट में लेखा-वही करार के साथ प्रस्तुत किया गया है।

घ) हमारे विचार से कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत लेखा के विशिष्ट मानक को उपर्युक्त भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण में पालन किया गया है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में निहित है।

ड़) निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 164(2) के शर्तों के अनुसार 31.03.2019 तक नियुक्त किये गये किसी भी निदेशक को आयोग्य करार नहीं दिया गया।

च) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त और ऐसे नियंत्रण के प्रचालन प्रभाव से संबंधित प्रतिवेदन अलग से संलग्न किये गए हैं।

छ) कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम, 11(लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत् अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारी राय तथा हमारी जानकारी को स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण दिया गया।

i) कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए निकट भविष्य में वस्तु हानि थी।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 143(5) के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदनः-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदनों को '**अनुलग्नक-सी**' संलग्न किया गया है। ऐसे निर्देशों पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी प्रारंभिक चरण में है और इसका कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

स्थान- भुवनेश्वर
दिनांक : 27.04.2019

कृते दास एंड दास की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः322926 ई
ह/-
राजेन्द्र कुमार दास, एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता संख्या-057342

अनुलग्नक-क

लेखा परीक्षक प्रतिवेदन का अनुलग्नक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड) "कंपनी") के सदस्यों को संदर्भित हमारे रिपोर्ट का अनुलग्नक। हम रिपोर्ट करते हैं किः-

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी के पास अपने निश्चित परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा चरणबद्ध तरीके से निश्चित सम्पत्तियां सत्यापित की जाती है। इस कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान कुछ निश्चित संपत्तियों का सत्यापन किया गया था और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियों की सूचना नहीं मिली थी। हमारी राय में, कंपनी के विस्तार और इसकी प्रकृति के संबंध में भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है|

(ग) अचल संपत्तियों के शीर्ष कार्यों कों कंपनी के नाम पर रखा जाता है।

2. वर्ष के दौरान कंपनी के पास किसी भी प्रकार की इनवेंटरी नहीं है, इसलिए प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

3. हमारे मत में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अधिनियम 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी,फॉर्म,एलएलपी या अन्य पाटियों को कंपनी ने प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है तदनुसार आदेश के खंड (iii) (ए) से (सी) के प्रावोधान कंपनी पर लागू नहीं है इस लिये इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।

4. हमारे मत में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ऋण,निवेश, गारंटी एवं सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया गया है।

5. कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए जनता स्वीकृत जमा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जरी किए गए निर्देश धारा 73 से 76 के प्रावधनों या अन्य प्रासंगिक प्रावधान और जनता से स्वीकृत जमा के संबंध में कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2015 लागू नहीं है ।

6. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी द्वारा किए गये गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 के उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्दिष्ट नहीं किया गया है

7. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा खातों की परीक्षा के आधार पर और अभिलेखों के अनुसार एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर कंपनी के पास कोई प्रत्यक्ष कर्मचारी नहीं है। भविष्य निधि बकाया की कटौती जमा वर्ष के दौरान लागू नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन और विक्रय शुरू नहीं की है, सरकार को कोई सांविधिक देय नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को उपर्युक्त के संबंध में कोई निर्विवाद देय राशि तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी विवाद के कारण आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर बकाया नहीं है।

8. हमारे मत में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंको को पुनर्भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और वर्ष के दौरान कोई ऋण पत्र जारी नहीं किया है।
9. किये गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण उपकरणों और सावधि ऋण सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खंड-3(IX) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
10. किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी द्वारा उसके अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा कोई धोखा-धड़ी नहीं पायी गई है या इसकी रिपोर्ट नहीं की गई है।
11. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-5 के साथ पढ़ी गई धारा-197 के प्रावधान लागू नहीं है
12. हमारे मत में कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के धारा-4(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
13. हमारे मत में संबंधित पार्टियों के साथ सभी प्रकार के लेन-देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-177 एवं 188 के अनुपालन में है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में विवरणों का खुलासा किया गया है।
14. किये गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान समीक्षा में किसी भी अधिमान्य आवंटन या शेयरों की निजी नियुक्ति पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र तैयार नहीं की है। तद्नुसार आदेश के खंड-3(xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है और इसलिए इसपर टिप्पणी नहीं की गई है।
15. किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तिओं के साथ कोई गैर नगदी लेनदेन नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद-3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं इसलिए इसपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
16. हमारे मत में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा-45(आई.ए) के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तद्नुसार आदेश की धारा-3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

स्थान- भुवनेश्वर
दिनांक : 27.04.2019

कृते दास एंड दास की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः322926 ई
ह/-
राजेन्द्र कुमार दास, एफ.सी.ए.
भागीदार
सदस्यता संख्या-057342

अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदनः

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ मैसर्स महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड(''कंपनी'') के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रक के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप रेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से परिचालन कर रहे थे। जिसमें संबंधित कंपनी के नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी का पता लगाना और त्रुटियां, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन ("मार्गदर्शन नोट") और आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानक, धारा-143(10) के तहत् निर्धारित समझे जाने वाले मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक हमारे लेखा परीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजनाओं का पालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित किया गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढ़ंग से संचालित होते हैं तो उसे बनाये रखा गया है।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्ता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूप रेखा और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर राय के आधार पर प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानक समेत आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है। (1) अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर भारतीय लेखांकन मानक सहित स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन दर्ज किये जाते हैं और कंपनी की रसीदे एवं व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किये जा रहे हैं तथा (3) कंपनी के परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:-

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अनुचित या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकत है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य की अवधि में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

मत

हमारी राय में, एसीएआई द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2019 तक प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

उनके लिए और उनकी तरफ से

दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322926**ई**
हस्त /-
राजेंद्र कुमार दास, **एफ़सीए**
साझेदार
सदस्यता सं.: 057342

स्थान: **भुवनेश्वर**
दिनांक: 27 **अप्रैल 2019**

अनुलग्नक – ग

कंपनी का नाम: महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओड़िशा

वित्तीय वर्ष: 2018-19

कंपनी अधिनियम, 2013 के 143(5) के सी एंड जी कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिवेदन

क्र	निर्देश	वैधानिक लेखा परीक्षक का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	जैसा कि सूचित किया गया है कि कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित की कोई व्यवस्था नहीं है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिये गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि की छूट / राइट ऑफ के मामले नहीं थे।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य नहीं है। इसलिए उपयोग का सवाल ही नहीं उठता।
	स्थान: भुवनेश्वर **दिनांक: 27 अप्रैल 2019**	**दास एंड दास** **सनदी लेखाकार** **फर्म पंजीकरण सं.: 322926ई** **ह/-** **राजेंद्र कुमार दास, एफ़सीए** **साझेदार** **सदस्यता सं.: 057342**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 27 अप्रैल, 2019 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण ना करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(सुपर्णा देब)
प्रमुख जनरल
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-II कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 20.05.2019

तुलनपत्र
31 मार्च 2019 के अनुसार

(₹ लाख में)

	टिप्पण संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार (पुनः घोषित)
परिसंपत्तियाँ			
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	4.63	7.01
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	1,772.31	1,498.67
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6	-	-
(ड़) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii)ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	75.11	75.01
(च) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)			
(छ) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		1,852.05	1,580.69
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	14	1.86	9.21
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		3.08	3.08
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	1.13	1.82
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		6.07	14.12
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**1,858.12**	**1,594.81**

तुलनपत्र
31 मार्च 2019 के अनुसार

	टिप्पण संख्या	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार (पुनः घोषित)
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	5.00	5.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(595.54)	(592.14)
कुल इक्विटि (क)		(590.54)	(587.14)
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार देय	19	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		37.96	13.50
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	2,407.23	2,165.30
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	3.47	3.15
(ग) प्रावधान	21	-	-
कुल चालू देयताएँ (ग)		2,448.66	2,181.95
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**1,858.12**	**1,594.81**

साथ के टिप्पण वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. के. बेहेरा)	**(एन. राजसेखर)**	**(बी.सी. मिश्रा)**	**(ओ. पी. सिंह)**
उप प्रबन्धक(वित्त)	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	**निदेशक**
			डीआईएन -07627471

ह/-
(के. आर. वसुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन-07915732

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृत दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फ़र्म - पंजीकरण संख्या-322926ई

ह/-
(सीए राजेद्र कुमार दास)
भागीदार
सदस्य सख्या. 057342

स्थान- भुवनेश्वर
दिनांक- 27.04.2019

लाभ एवं हानि का विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए

(₹ लाख में)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
	प्रचालन से राजस्व			
क	विक्रय(उत्पाद शुल्क को छोड़ कर निवल संवेधिक लेवी)		-	-
ख	अन्य प्रचालन राजस्व (लेवी)		-	-
(I)	**प्रचालन से राजस्व (क+ख)**		-	-
(II)	अन्य आय		-	-
(III)	**कुल आय (I+II)**		-	-
(IV)	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत		-	-
	विक्रय के लिए स्टॉक की खरीद		-	-
	निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक		-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय		-	-
	बिजली और ईंधन		-	-
	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		-	-
	मरम्मत		-	-
	संविदात्मक व्यय		-	-
	वित्त लागत		-	-
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय		0.55	0.96
	प्रावधान		-	-
	बट्टे खाते में डालना		-	-
	अन्य व्यय	24	2.84	2.51
				-
	कुल व्यय (IV)		**3.40**	**3.46**
(V)	**असाधारण मद एवं कर पूर्व पहले लाभ (I-IV)**		**(3.40)**	**(3.46)**
(VI)	असाधारण मद			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**(3.40)**	**(3.46)**
(VIII)	कर व्यय			
(IX)	**सतत प्रचालन अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)**		**(3.40)**	**(3.46)**

लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ लाख में)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
(X)	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII)	बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम में शेयर/सहयोगियों के लाभ/(हानि)		-	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**(3.40)**	**(3.46)**
	अन्य व्यापक आय			
	क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।			
	(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
	ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		-	-
(XVI)	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)**		**(3.40)**	**(3.46)**
	लाभ के लिए जिम्मेदार :		**(3.40)**	**(3.46)**
	कंपनी के स्वामित्व		-	-
	गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
	कुल व्यापक आय के कारण :			
	कंपनी के स्वामित्व		**(3.40)**	**(3.46)**
	गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):**			
	(1) मौलिक		**(6.79)**	**(6.93)**
	(2) मंदित		**(6.79)**	**(6.93)**
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु)::**			
	(1) मौलिक		**-**	**-**
	(2) मंदित		**-**	**-**
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):**			
	(1) मौलिक		**(6.79)**	**(6.93)**
	(2) मंदित		**(6.79)**	**(6.93)**

संगत टिप्पण वित्तीय विवरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. के. बेहेरा)	**(एन. राजसेखर)**	**(बी.सी. मिश्रा)**	**(ओ. पी. सिंह)**
उप प्रबन्धक(वित्त)	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	**निदेशक**
			डीआईएन -07627471

ह/-
(के. आर. वसुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन-07915732

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृत दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फ़र्म - पंजीकरण संख्या-322926ई

ह/-
(सीए राजेंद्र कुमार दास)
भागीदार
सदस्य संख्या. 057342

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27.04.2019

31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क) इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	दिनांक 01.04.2017 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2018 तक शेष	दिनांक 01.04.2018 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	दिनांक 31.03.2019 तक शेष
प्रत्येक 10 मे 50000 इक्विटि शेयर	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00

ख) अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय पुनः घोषित	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व				
दिनांक 01.04.2017 तक शेष	-	-	-	(88.23)	-	(88.23)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान हुई त्रुटि	-	-	-	(500.45)	-	(500.45)
दिनांक 01.04.2017 तक पुन: वर्णित	**-**	**-**	**-**	**(588.68)**	**-**	(588.68)
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	(3.46)	-	(3.46)
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोजन						-
सेवानिवृत्त आय (मुख्यालय) में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को /से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2018 तक शेष	**-**	**-**	**-**	**(592.14)**	**-**	(592.14)
अवधि के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	(3.40)	-	(3.40)
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निवल कर)	-	-	-	-	-	-
विनियोजन	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्त आय (मुख्यालय) में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को /से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**-**	**(595.54)**	**-**	(595.54)

टिप्पणी-1: कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल), महानदी कोलफील्ड्स की पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर, ओड़िशा राज्य में स्थित है, जिसका निगमन 2 दिसंबर 2011 को किया गया। सुंदरगढ़ जिला, ओड़िशा के वसुंधरा कोलफील्ड्स क्षेत्र में 2*800 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की स्थापना की गई थी।

यह कंपनी मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन में संलग्न है। महानदी बेसिन पावर अपने विकासशील अवस्था में है। अबतक इसकी प्रचालन गतिविधि शुरू नहीं की गई है। महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की कोई भी अनुषंगी कंपनी तथा संयुक्त उद्यम नहीं है।

टिप्पणी 2: महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी के आधार

समूह (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, समूह का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक समूह अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानक(ए.एस). जो समूह लेखा नियम 2014 के साथ पढ़ा जाए तथा समूह (लेखांकन मानक), नियम 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार समूह के लिए तैयार पहले वित्तीय विवरण हैं।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.13.1 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब-तक 'रुपए' दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2.1 सहायिकाएँ -

सहायिकाएँ वे संस्थाएं हैं जिन पर समूहों का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

सहयोगी कंपनियों के निवेश को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है, प्रारंभ में लागत पर पहचाने जाने के बाद भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार निवेश या इसके एक हिस्से को बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है ।

सत्ता के उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर सहयोगियां अपने शुद्ध निवेश को कम करती है।

2.2.2 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह एक या एक से अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रासंगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है। संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के वैधानिक ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.3 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूह परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चो और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे जिन्हें उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.4 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें समूह को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

बैलेंस शीट में समेकित लागत को उचित मूल्य पर पहचाने जाने के उपरांत संयुक्त उद्यम से ब्याज इक्विटी पद्धति के उपयोग करने हेतु जवाबदेह है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचने के बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति के उपयोग हेतु ध्यान में लीया जाता हैं , बजाए निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

सत्ता के उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम अपने शुद्ध निवेश का ह्रास करती है।

2.2.5 इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियो और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो समूह अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

इन इकाईयों में समूह के हितों हेतु समूह एवं उनके सहायकों तथा सन्युक्त उद्यम के बीच हुए लेनदेन पर अवास्तविक लाभांश को निकाले गए हैं। जब तक लेनदेन से हस्तांतरित संपत्ति से हुई हानि के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते तब तक अवास्तविक हानियों को भी निकाल दिया जाएगा। समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.6 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तब इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी समूह, संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी समूह में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाये।
ख. यह सबसे पहले संपत्ति की देयताओं को व्यापार करने हेतु रखती है।
ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।
घ. परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब तक संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है तब अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।
ख. सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।
ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।
घ. रिपोर्टिंग अवधि(पैराग्राफ-73 देखें) के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्तें जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरुप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत है।

2.4 राजस्व मान्यता

भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय मानक लेखांकन 11 और भारतीय मानक लेखांकन 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय मानक लेखांकन 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो ।

कोल इंडिया लिमिटेड ('CIL' या 'कंपनी') ने अभिग्रहण करने की पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय मानक लेखांकन 115 को अपनाया है।

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है । मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य नियंत्रित उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत और दुनिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब माल या सेवाओं पर नियंत्रण एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो ।
कंपनी ने समान्यतः निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में श्रेष्ठ है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले प्ररूप की भांति नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:
ख) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ग) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय,कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और
ड.) यह संभव है कि कंपनी उस विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है

क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंधों तय की जा सकती है;
ख) अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या
ग) अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को प्रत्येक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता रूप में पहचान करने के लिए:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को

प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

- लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;

- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;

- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;

- गैर-नकद निर्णय;

- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि t मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्थानांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;
ख)कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है

ग)कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस

पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करता है।
कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है।कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं है, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा के स्वामित्व होता हैं;
ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।
जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपति :

एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्ति :

कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारो का प्रतिनिधित्व करता है जो शर्तरहित है अर्थात् देय भुगतान से पूर्व) (केवल समय की अपव्ययता है

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्त होतेप्रा (या विचार की राशि देय है)है। ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, जब भुगतान किया जाता है या देय जो भी पहले) तब अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है (हो।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि उचित आश्वासन न हो की कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और निश्चित रूप से अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान लाभ और हानि के विवरणों से व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है जिसके लिए कंपनी को संबंधित लागतों का खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

अनुदान को स्थगित आय के रूप में स्थापित करने के द्वारा संपत्ती से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलन-पत्र पर प्रस्तुत किया गया है ।

सामान्य शीर्षक 'अन्य आय ' के तहत आय से संबंधित अनुदान लाभ व हानि के हिस्से के रुप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकार के साथ सरकारी अनुदान जिनपर मूल्य एवं लेनदेन नहीं किया गया हो तथा जिन्हें इक्विटी के सामान्य व्यापारिक लेनदेन से अलग नहीं किया जा सकता, वे सरकारी सहायता के अनुरूप होंगे। यदि अलग से उन्हें नोट में सांकेतिक रूप में दर्शाया गया हो तो इस प्रक्रिया के तहत इक्विटी को सीधे रूप में लाभ प्राप्त होगा।

2.6 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा एक पट्टा होने के अलावा एक वित्त पट्टा भी है।

2.6.1 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे पट्टे जो काफी हद तक जोखिमों एवं अनुषंगिक प्रतिफलों को कंपनी के स्वामित्व को हस्तांतरित करती है उन्हें वित्त पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को वित्तीय लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 परिचालित पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर स्वीकार किये जाते हैं।

2.6.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी

परिचालन पट्टा: पट्टा जिनमें कपंनी संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को हस्तांतरित नहीं करती उन्हें परिचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टे से किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के भीतर प्रत्यक्ष आधार पर मान्यता प्राप्त होती है। समझौता तथा परिचालन पट्टा में किये गये प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

पट्टे को वित्तीय पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा जब कंपनी से काफी हद तक जोखिम एवं प्रतिफल पट्टेदार को हस्तांतरित होगी। वित्तीय पट्टे के तहत पट्टेदार से बकाया राशि पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश के प्राप्य के रुप में दर्ज किए गए हैं। वित्तीय पट्टा आय लेखांकन अवधि को आवंटित है जो पट्टा के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर वापसी के निरंतर दर अवधि को दर्शाएगा।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है, यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो। विक्रय को पूरा करने के लिए

आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय गैर चालू संपत्ति से अन्य गैर चालू संपत्ति में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए है जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन कंपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब :

- समुचित प्रबंधन स्तर से निष्पादित समूह को बिक्री के लिए यथोचित योजना तैयार करना अपेक्षित हो।
- क्रेता खोज के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा संपूर्ण योजना को निष्पादित करना अपेक्षित हो। (यदि लागू हो)
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आंकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:-

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है । इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजा आदि शामिल हैं।

अलग संपत्ति के रूप में संयंत्र तथा उपकरण में होने वाले खर्च उस शर्त पर निष्पादित किये जाएंगे, जिसमें समाहित खर्च कम से कम हो तथा लागत मानक के अन्तर्गत किसी भी प्रतिपूरक नुकसान को हानि न पहुंचे। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क. व्यापार में मिले छूट में कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख. स्थल तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमान्ति खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-

साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है।

दिन-प्रतिदिन इस तरह के कार्य जिसमें मरम्मतीकरण तथा इसके रख-रखाव का विवरण लाभ और हानि के विवरण में उसी वर्षावधि के अन्तर्गत दर्शाता है जो कि व्यय के समतुल्य होना अपेक्षत होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आंकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेन्द्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

वृहद स्तर पर निरीक्षण के पश्चात इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका है और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रीयों का मूल्य सटीक रूप से आंकलित किया जायेगा। विगत जांच के समय में बकाया राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) विमुद्रित की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये जाने पर उसे असंबंद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

पट्टेकृत भूमि	-	परियोजना की अवधि
भवन	-	3-60 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष
लैपटॉप और कंप्यूटर	-	3 वर्ष
अन्य	-	

मूल्यह्रास उद्देश्य के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

पट्टे भूमि का मूल्य पट्टा अवधि या परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

समूह द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, माल की आपूर्ति या समूह के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के लिए संक्रमण

कंपनी वर्तमान मूल्य को लागत मानक की कीमत के अनुसार बनाए रखने का प्रयास करती है जिसमें इसके सभी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण जिसमें इसके वित्तीय विवरण एवं हस्तांतरण तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार किया गया निष्पादन सम्मिलित रहता है।

2.9 विकासात्मक व्यय

परियोजना से संबंधित सभी व्यय शीर्ष विकास के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है।

2.10 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की गई) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के लिये मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी

आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त संपत्ति की व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता हैऔर जिसे लाभ-हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

2.11 हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है।

2.12 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या माल व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।
निवेश संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.13 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.13.1वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.13.1.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.13.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.13.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है । लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है। यह श्रेणी सामान्यत: अन्य प्राप्यों पर लागू होते हैं।

2.13.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफवीटीओसीआई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे समूह ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को ब्याज में जिस ईआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.13.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन:

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही समूह एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। समूह ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.13.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

2.13.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ड्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंस्ट्रुमेंट दर इंस्ट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंस्ट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंस्ट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।
पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ड्रूमेंट को मापा जाता है।

2.13.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या
(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.13.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि-

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए समूह ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसके प्रारम्भिक पहचान से शुरू होकर जीवन पर्यंत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएलएस) पर आधारित होती है।

2.13.3 वित्तीय देयताएँ

2.13.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.13.3.2 आगामी माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.13.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर –

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के

रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.13.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.13.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.13.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण

कंपनी परियोजना निवारण करके प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन परियोजना निवारण करके आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणाम स्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और जो बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.13.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलन पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.14 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.15 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते है क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थाई करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी , जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं
लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां समूह अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने
की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।
संबन्धित मदों को छोडकर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.16 कर्मचारी हितलाभ

2.16.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.16.2 रोजागार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.16.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय (कोयला परियोजना भविष्य निधि) द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। पारिभाषित योगदान योजनाओं में बाध्यताओं को कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में इस अवधि के लाभ-हानि विवरणी में मान्यता दी गई है। इस अवधि में कर्मचारियों ने अपनी सेवा प्रदान की है।

2.16.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आंकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में समूह के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो समूह को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। समूह निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं

(परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओँ में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.16.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक बैलेंस शीट पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यताएं यथोचित होती है।

2.18 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.19 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

इंडस्ट्रीज के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और परिसंपत्तियों और देनदारियों पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्घृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.19.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.19.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।
क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :
I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।
Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,
Iv. मितव्ययी, तथा
V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।
प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।
क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और
ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी ऊर्जा क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

2.19.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप क्या जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यक्ताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा सत्ता अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.19.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.19.2.1 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

इंडस्ट्रीज के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और परिसंपत्तियों और देनदारियों पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्घृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.19.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। कारों से संबन्धित आगामी विवरण का उल्लेख टिप्पण-25 में किया गया है।

2.19.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की

समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए
उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.19.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.19.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां -

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.20. प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर:

क. सीजीयू	नकदी उत्पाद इकाई
ख. डीसीएफ़	रियायती नकद प्रवाह
ग. एफ़वीटीओसीएल	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ. एफ़वीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ङ. जीएएपी	समान्यतः स्वीकृत मूलधन
च. भा. ले. मा.	भारतीय लेखा मानक
छ. ओसीआई	अन्य व्यापक आमदनी
ज. पी एंड एल	लाभ और हानि
झ. पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
ञ. एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज भुगतान

(₹ लाख में)

टिप्पणी-3 संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	पी एंड एम भंडार	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:																
वहन राशि:	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22	4.73	-	-	-	0.01		**13.96**
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04		**0.04**
परिवर्धन	-	-	-	-	-				-	(1.09)	-	-	-	-		**(1.09)**
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22	3.64	-	-	-	0.05	-	**12.92**
31 मार्च,2018 के अनुसार																
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22	3.64	-	-	-	0.05	-	**12.92**
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**-**
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.40)	-	-	-	-		**(1.40)**
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22	2.24	-	-	-	0.05	-	**11.52**
संचित मूल्यह्रास और हानि																
वहन राशि:	-	-	-	-	-	-	-	-	2.75	3.12	-	-	-	-		**5.87**
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	1.60	1.06	-	-	-	-		**2.66**
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**-**
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-			-	-	(2.63)	-	-	-	-		**(2.63)**
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	4.35	1.56	-	-	-		-	**5.91**
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	4.35	1.56	-	-	-	-	-	**5.91**
वर्ष के लिए शुल्क	-		-	-	-	-	-	-	1.08	0.55	-	-		-		**1.63**
हानि	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-				**-**
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.65)	-	-				**(0.65)**
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	5.43	1.46	-	-	-	-	-	**6.89**
निवल वहन राशि																
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.79**	**0.78**	-	-	-	**0.05**	-	**4.63**
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.87**	**2.09**	-	-	-	**0.05**	-	**7.01**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : कैपिटल वैप- पुनः घोषित

(₹लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य संरचना / विकास	रेल कॉरिडोर विकास व्यय	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	1,759.98	-	-	-	1,759.98
योग	-	-	-	239.13	-	-	-	239.13
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	(500.45)	-	-	-	(500.45)
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	1,498.67	-	-	-	1,498.67
								-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	1,498.67	-	-	-	1,498.67
योग	-	-	-	273.64	-	-	-	273.64
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	1,772.31	-	-	-	1,772.31
								-
प्रावधान और हानि								-
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
हानी	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क								-
हानी								-
समायोजन / विलोपन								-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
निवल वहन राशि								-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-	-	-	1,772.31	-	-	-	1,772.31
31.03.2018 के अनुसार	-	-	-	1,498.67	-	-	-	1,498.67

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2017 के अनुसार	-
परिवर्धन	-
पूंजीकरण	
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01.04.2018 के अनुसार	-
परिवर्धन	-
पूंजीकरण	
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-
प्रावधान और हानि	
01.04.2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
01.04.2018 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च,2019 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च,2019 के अनुसार	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-			-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-
प्रावधान और हानि				
01.04.2017 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-
01.04.2018 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹ लाख में)

गैर चालू निवेश

	शेयर / इकाइयों की	प्रति शेयर अंकित मूल्य	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
शेयरों में निवेश				
अनुषंगी कंपनियों में शेयर	-	-	-	-
कुल : (क)	-	-	-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)	-	-	-	-
कुल: (ख)	-	-	-	-
सकल योग : (क+ख)	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-

चालू

(₹ लाख में)

	चालू / (पिछले) वर्ष इकाइयों की संख्या	एनएवी (₹)	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
म्यूचुअल फ़ंड निवेश	-	-	-	-
कुल :	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-		-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 8 :ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान		
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
चालू		
अन्य ऋण		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
बैक जमा	-	-
उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटावः संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	75.11	75.01
घटावः संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य हेतु भत्ता	-	-
	75.11	75.01
कुल	**75.11**	**75.01**
चालू		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अर्जित ब्याज	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	-	-
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपातियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम		
(क)उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु जमा	-	-
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तु एवं सेवा)	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
(ख) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
(ग) सबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	1.13	1.82
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	1.13	1.82
(ड़) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
घटाव:प्रावधान	-	-
कुल	**1.13**	**1.82**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	-	-
योग: ट्रांसिट-में-भंडार	-	-
निवल भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	-	-
(ख) कार्यशाला कार्य एवं प्रैस कार्य	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
चालू		
व्यापार प्राप्य		
- सुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- असुरक्षित एवं तैयार सामान	-	-
- क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानी	-	-
घटाव : संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
(क) बैंक के साथ शेष		-
- जमा खाते में	-	-
- चालू खाते में		
(क) वहन ब्याज(सीएलटीडी खाता आदि)	-	-
(ख) गैर ब्याज वहन	1.77	9.21
- नगद क्रेडिट खाते में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) चेक, ड्राफ्ट एवं मोहर	-	-
(घ) हाथों पर नकद	-	-
(ड़) भारत के बाहर नकद	-	-
(च) अन्य	0.08	-
कुल नकद एवं नगद समतुल्य	1.86	9.21
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट		
कुल नगद एवं नकद समकक्ष (कुल बैंक ओवरड्राफ्ट)	1.86	9.21

टिप्पणी :

1 बैंक में नकद एवं नकद समकक्ष, तीन माह व उससे अधिक के मूल परिपक्वता, स्वीप खाता एवं जमा शर्त आदि शामिल हैं ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
बैंक के साथ शेष		
- जमा लेखा	-	-
- जमा लेखा (विशेष उदेश्य के लिए)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

प्राधिकृत	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
प्रत्येक रु. 10/- के 50000 इक्विटी शेयर	5.00	5.00
	5.00	**5.00**
जारी की गई , सदस्यता ली गई एवं चुकाई गई		
प्रत्येक रु. 10/- के 50000 इक्विटी शेयर		
पूर्ण रूप से नगद में भुगतान किया गया	5.00	5.00
	5.00	**5.00**

1 प्रत्येक शेयरधारक के 5% शेयर के साथ कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	**आयोजित शेयर की संख्या**	**कुल शेयर का %**
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) एवं नामिती	50000	100

2 अवधि के दौरान कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया है या खरीदा है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी - पुनः घोषित

(₹ लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	बनाए गए अर्जन (अधिशेष)	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी रिजर्व*				
दिनांक 01.04.2017 तक शेष	-	-	-	**(88.23)**	-	**(88.23)**
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	**-**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	(500.45)	-	**(500.45)**
दिनांक 01.04.2017 तक पुन:वर्णित शेष	-	-	-	**(588.68)**	-	**(588.68)**
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	(3.46)	-	**(3.46)**
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (कर का निवल)	-	-	-	-	-	**-**
विनियोग				-	-	**-**
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	**-**
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	**-**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	**-**
31.03.2018 को बकाया के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(592.14)**	**-**	**(592.14)**
अवधि के दौरान जोड़/प्रतिधारित कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	(3.40)	-	**(3.40)**
निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (निवल कर)	-	-	-	-	-	**-**
विनियोग				-	-	**-**
प्रतिधारित आय (मुख्यालय) में अंतरण	-	-	-	-	-	**-**
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	**-**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	**-**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	**-**
31.03.2019 को बकाया के अनुसार	-	-	**-**	**(595.54)**	**-**	**(595.54)**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: उधारी

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
-बैंक से	-	-
- अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर ऋण प्रतिदेय	-	-
बैंक से	-	-
अन्य पार्टियों से	-	-
संबन्धित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 पुनः घोषित
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	-	-
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जो	-	-
-ऊर्जा एवं ईंधन	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयता	37.96	13.50
अन्य लागत		
कुल	**37.96**	**13.50**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि की अवधि तथा ब्याज यदि कोई हो		
अवधि	**31-Mar-19**	**31-Mar-18**
15 दिनों के भीतर बकाया	-	-
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया	-	-
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया	-	-
45 दिनों से अधिक बकाया	-	-
कुल एमएसएमई लेनदार	-	-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय रु 0.00 लाख (रु 0.00 लाख -31.03.2018 के अनुसार) मूलधन और ब्याज के कारण रु. 0.00 लाख (रु. 0.00 लाख 31.03.2018) विलंब से भुगतान किया गया ।पार्टी द्वारा बैंक जनादेश फॉर्म और जीएसटी फॉर्म प्रस्तुत ना करने के कारण एमएसएमई को विलंब से भुगतान किया गया ।

2.अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी विलंबित भुगतानों पर कुल ब्याज का भुगतान - रु. 00 लाख (रु. 00.00 लाख - 31.03.2018)

3.अवधि / वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे भुगतान की गई मूल राशियों पर देय ब्याज, लेकिन इस अधिनियम के तहत ब्याज रहित राशि - रु ..00 लाख (रु. 00.00 लाख -31.03.2018 निरंक)

4.ब्याज उपार्जित किया गया है लेकिन रु .0.00 लाख नहीं है (वर्ष / अवधि के अंत में अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन नियत तारीख से मासिक ब्याज पर ब्याज की गणना नहीं की जाती है)

5.कुल शेष ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया - रु .0.00 लाख (रु. 0.00 लाख -31.03.2018) (शेष सभी ब्याज राशियों को पूर्व वर्ष से उस समय तक शेष राशि का भुगतान करता है जब तक वास्तव में छोटे उद्यमों को ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	-	
बयाना राशि	-	-
अन्य	-	-
	-	-
चालू		
अनुषंगी/ नियंत्रक कंपनी एमसीएल के साथ चालू खाते	2,369.11	2,126.76
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अभुक्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमा	3.07	5.76
बयाना राशि	0.05	0.05
अन्य	35.01	32.74
कुल	**2,407.23**	**2,165.30**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार (पुनः घोषित)
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
-अन्य	-	-
	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
अनुग्रहपूर्वक	-	-
निष्पादन सबंधित वेतन	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
एनसीडबल्यूए-X प्रावधान	-	-
- अधिकारी वेतन संशोधन	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू देयताएँ

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार
स्थगित आय	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी- 23 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2019 के अनुसार		31.03.2018 के अनुसार	
पूंजीगत व्यय	-	-	-	-
सांविधिक देय	3.47	3.47	3.15	3.15
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य	-	-	-	-
अन्य देयताएं	-	-	-	-
कुल		**3.47**		**3.15**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 24 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)
यात्रा व्यय		
- घरेल	-	-
- विदेशी	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
दरभाष एवं डाक खर्च	-	0.01
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	-	-
भाडा शल्क	-	-
दान /अभिदान	-	-
सरक्षा व्यय	-	-
भाडा शल्क	-	-
विधिक व्यय	-	-
बैंक शल्क	0.01	0.01
गेस्ट हाऊस व्यय	-	-
परामर्श शल्क	0.74	0.37
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	-	-
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय	-	-
- लेखा परीक्षा फीस	0.81	0.71
- कर संबंधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	-	-
-व्यय की प्रतिपर्ति	0.48	0.12
आंतरिक एवं लेखा परीक्षा परिणाम	-	-
ब्याज और जुर्माना	-	0.00
अन्य ब्याज	0.43	-
भाड़ा	-	-
दर एवं कर	-	-
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	0.35	-
लीज रेंट	-	-
बचाव / सुरक्षा व्यय	-	-
भूमि / फसल का मुआवजा	-	-
अनुषंधान एवं विकाश व्यय	-	-
पर्यावरण और वक्षारोपण व्यय	-	-
विविध व्यय	0.02	1.29
कुल	**2.84**	**2.51**

टिप्पणी - 25: 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 9 माह के वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ।

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्गवार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31 मार्च 2019			31मार्च 2018		
	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
अधिमानी शेयर - इक्विटी घटक - ऋण घटक	- -	- -	- -	- -	- -	- -
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेश						
ऋण	-	-	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	-	75.11	-	-	75.01
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	1.86	-	-	9.21
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं						
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	37.96	-	-	13.50
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	-	3.12	-	-	5.81
अन्य देयताएं	-	-	2404.11	-	-	2159.49

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के

लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में निम्नानुसार स्पष्ट है -

(₹ लाख में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन	**31 मार्च 2019**			**31 मार्च 2018**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश:						
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख किया गया	31 मार्च 2019			31 मार्च 2018		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
अनुमानित लागत पर वित्तीय परिसंप्तियाँ						
निवेश:	-	-	-	-	-	-
अधिमानी शेयर - इक्विटी घटक - ऋण घटक	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेश						
ऋण	-	-	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	-	75.11	-	-	75.01
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	-	1.86	-	-	9.21
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ						
उधार	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियाँ	-	-	37.96	-	-	13.50
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि	-	-	3.12	-	-	5.81
अन्य देयताएँ	-	-	2404.11	-	-	2159.49

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्याकंन किया गया है। जिसमें रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार म्यूअचल फंड का मूल्यांकन एनएवी समापन का उपयोग कर किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। स्तर 3. असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग :

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें म्यूचुअल फ़ंड में निवेश के संबंध में

बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एनएवी) का उपयोग शामिल हैं।

महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

घ. परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियों के उचित मूल्य।

➢ उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

➢ कंपनी मानता है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रुप में शामिल नहीं है। माइलस्टोन पेमेंट लिए के कारणों अन्य छोड़कर को प्रावधान के वित्त उसमें तथा है खाता लमे से प्रदर्शन के समूह (जमा सुरक्षा) दायित्वों अपने अंतर्गत के संविदा यह है। होती आवश्यकता की रखने बनाए को राशि की अनुबंध को पूर्ण रूप से पूरा करने में असफल रहता है एवं ठेकेदार कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक माईलस्टोन पेमेंट के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने में भी सक्षम रहता है। तदनुसार सुरक्षा जमा को लेनदेन लागत के प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क. क्रेडिट जोखिम –क्रेडिट जोखिम**,** नगद एवं नगदी समकक्ष**,** परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानि: जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा कंपनी अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए संदिग्ध /क्रेडिट परिसंपत्तियां प्रदान करती है (सरल दृष्टिकोण)।

वित्तीय परिसंपत्तियों का महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान चूक और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने में कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन कर उसका उपयोग करती है।

ख. नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(i) **वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका समूह की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2019 तक			31.03.2018 तक			
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज प्रमाणपत्र सहित उधार	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

	31.03.2019	**31.03.2018**
इक्विटी शेयर पूंजी	5.00	5.00
अधिमानी शेयर पूंजी	0.00	0.00
दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

i) भविष्य निधि :

धारक कंपनी कोयला खदान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए निश्चित योगदान का भुगतान करती है।

ii) अपरिचित मद

क. आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक: 01.04.2018 को प्रारम्भ	वर्ष/ अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान किए गए दावे			दिनांक 31.03.2019 को समाप्ति
				क. प्रारम्भिक शेष से	ख.वर्ष/ अवधि के दौरान वृद्धि के बाहर	ग. वर्ष/ अवधि के दौरान किए गए कुल दावे ग (क+ख)	
क	**केन्द्रीय सरकार**	-	-	-	-	-	-
1	आय कर	-	-	-	-	-	-
2	अन्य कोई मद:- क)	-	-	-	-	-	-
ख	**राज्य सरकार**:-	-	-	-	-	-	-
1	क)	-	-	-	-	-	-
ग	**सी.पी.एस.ई**:- कंपनी के खिलाफ मुकदमा	-	-	-	-	-	-
घ	**अन्य:-**						
1	कंपनी के खिलाफ अन्य मुकदमा	-	-	-	-	-	-
2	अन्य कोई मद:- क)	-	-	-	-	-	-

ख. गारंटी:

कंपनी ने किसी अन्य कंपनी की ओर से कोई गारंटी नहीं दी है।.

ग. साख पत्र:

दिनांक 31.03.2019 तक बकाया साख पत्र है₹ 0.00 लाख (दिनांक 31.03.2018 तक ₹ 0.01 लाख) तथा जारी बैंक गारंटी है ₹ 0.00 लाख (दिनांक 31.03.2018 तक ₹ 0.00 लाख)।

iii) अन्य जानकारी

क. प्राधिकृत पूंजी: **(₹ लाख में)**

	31.03.2019	**31.03.2018**
प्रत्येक ₹ 10.00/- के 50000 के इक्विटी शेयर	5.00	5.00

ख. प्रति शेयर आय

क्र. सं	विवरण	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए**		**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए**	
		पीएटी	ओसीआई	पीएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारक को कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	(3.40)	-	(3.46)	-
ii)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्याओं में)	50000	-	50000	-
iii)	प्रति शेयर मूलभूत आय तथा मन्दित आय (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	(6.79)	-	(6.93)	-

ग. संबंधित पक्ष के खुलासे

i) मुख्य कार्मिक प्रबंधकीय

नाम	**पदनाम**	**प्रभावी दिनांक**
श्री के.आर वासुदेवन (डीआईएन: 07915732)	अध्यक्ष	18/01/2019
श्री ओ.पी सिंह (डीआईएन: 07627471)	निदेशक	30/06/2017
श्री अनवर हु सेन (डीआईएन: 08407634)	निदेशक	22/03/2019
श्री.बी.सी मिश्रा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	09/01/2019
श्री एन.राजशेखर	मुख्य वित्तीय अधिकारी	02/07/2018

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक (₹ लाख में)

क्र. सं	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को भुगतान	31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए
i)	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ** सकल वेतन चिकित्सीय लाभ अनुलाभ और अन्य लाभ	 5.28 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00
ii)	**रोजगार के बाद के लाभ** पी.एफ. में योगदान और अन्य निधि ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00
iii)	**समाप्ति लाभ**	0.00	0.00
	कुल	**5.28**	**0.00**

31.03.2019 को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया राशि (₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2019 को	31.03.2018 को
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

अवधि के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

(₹ .लाख में)

संबंधित पक्षों का नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	पट्टे पर किराया	एमसीएल के साथ चालू खाता शेष पर ब्याज	सीएमपीडीआई व्यय	चालू खाता शेष
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	-	-	-	144.21	-	2369.11

ड़. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

च. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

छ. शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है।

ज. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा या अधिसूचित (एमसीए) कंपनी द्वारा गृहित लेखांकन नीति (नोट-2) को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पिछले वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उचित रुप से सुधार व उसे पुन: प्रारुपित किया गया।

झ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है ।

कंपनी का नाम	संबंध	ऋण/निवेश	राशि (₹ लाख में)
-	-	-	-

ञ. अन्य:

1. सी एंड एजी, कोलकाता के निदेश अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही में वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 2014-2015 के अवधि के दौरान रु 84.29 लाख के व्यय, जो कि पूंजीकृत थे, लेकिन वे परियोजना से संबंधित नहीं थे, को हानि एवं लाभ विवरण में प्रभारित किया गया है।

2. सी एंड एजी, कोलकाता के निदेश अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अवधि के दौरान रु 2.20 लाख के व्यय, जो कि पूंजीकृत थे, लेकिन वे परियोजना से संबंधित नहीं थे, को हानि एवं लाभ विवरण में प्रभारित किया गया है।

3. सी एंड एजी, कोलकाता के निदेश अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में अवधि से संबंधित 500.45 लाख रुपये का प्रारंभिक व्यय, जो पूंजीकृत थे लेकिन वे परियोजना से संबंधित नहीं थे, को हानि एवं लाभ विवरण में प्रभारित किया गया है।

4. पिछले वर्ष / अवधि के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुन:वर्णित किया गया है और आवश्यकता अनुसार पुन: संगठित और पुनर्व्यवस्थित किया जाता है

5. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नोट 3 से 23 तक उस तिथि के तुलनपत्र के भाग का तथा नोट-24 उस तिथि में समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण का हिस्सा है। नोट-25 वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोट को व्यक्त करता है। नोट 1 एवं 2 कोर्पोरेट जानकारी एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को व्यक्त करता है।

ह/-	ह/-	ह/-
(एस.के बेहेरा)	**(एन.राजशेखर)**	**(बी.सी मिश्रा)**
उप-प्रबंधक(वित्त)	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
ह/		ह/-
(ओ.पी.सिंह)		**(के.आर.वासुदेवन)**
निदेशक		**अध्यक्ष**
डीआईएन - 07627471		**डीआईएन-07915732**

उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
कृत दास एंड दास
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण - संख्या-322926 ई

ह/-

(सी.ए राजेन्द्र कुमार दास)
भागीदार
संख्या: 057342

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 27.04.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए नगद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

		दिनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए
संचालित गतिविधियों से नगद प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय		(3.40)	(3.46)
समायोजन के लिए :			
अचल परीसंपत्तियों की हानि/ मूल्यह्रास		0.55	0.96
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधि से संबन्धित वित्तीय लागत		-	-
छूट की अनदेखी		-	-
संपातियों की बिक्री पर लाभ/हानि		-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव		-	-
निवेश से ब्याज/ लाभांश		-	-
किए गए प्रावधान और अवधि के दौरान बट्टा खाता		-	-
चालू/गैर-चालू परिसंपतियों और देनदरियों से पूर्व परिचालन लाभ ।		**(2.84)**	**(2.51)**
समायोजन के लिए:			
वस्तुसूची		-	-
व्यापार स्वीकार्य		-	-
गैर चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां		-	-
चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां		0.69	(0.80)
चालू / गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं		266.71	251.06
प्रचालन से नगद प्राप्ति		**267.40**	**250.26**
आय कर का भुगतान / वापसी		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	**(क)**	**264.56**	**247.75**
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद		(271.91)	(239.17)
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	**(ख)**	**(271.91)**	**(239.17)**

अगले पेज में जारी.....

वित्तीय गतिविधियों से नगत प्रवाह			
उधार में बदलाव		-	-
ऋण का पुनर्भुगतान		-	-
प्राथमिक शेयर पूंजी की छुट		-	-
वित्त गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		-	-
इक्विटी शेयर पर लाभांश		-	-
इक्विटी शेयर लाभांश पर कर		-	-
इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक		-	-
इक्विटी शेयर कैपिटल के बाय बैक पर टैक्स		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगत	**(C)**	**-**	**-**
नकद एवं बैंक शेष में शुद्ध बढ़ोत्तरी /कटौती (क +ख + ग)		**(7.35)**	**8.58**
नकद एवं बैंक शेष (प्रारम्भिक शेष)		**9.21**	**0.63**
नकद एवं बैंक शेष (अंतिम शेष)		**1.86**	**9.21**

(कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं)

टिप्पणी :- सीएजी का सवाल :- 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के सुरुयात में नगद प्रवाह विवरणी, नगद एवं नगद समतुल्य के रूप में ₹.62515.34. के स्थान पर ₹. 8492424.34 दर्शाया गया है । 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभा एवं हानि के तहत ₹. 125622.30 शुद्ध हानि दर्शाया गया है वही उसे नगद प्रवाह विवरणी मे ₹. 8555541.30 दर्शाया गया है । नगद्द प्रवाह विवरणी को सीएजी के सवाल के तहत पुनः घोषित किया गया है ।

उपर्युक्त विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किए गए हैं।
2. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए गत अवधि के सभी आकांडों का पुन: वर्गीकरण किया गया है।

ह/-
(एस. के. बेहेरा)
उप प्रबन्धक(वित्त)

ह/-
(एन. राजसेखर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(बी.सी. मिश्रा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ओ. पी. सिंह)
निदेशक
डीआईएन -07627471

ह/-
(के. आर. वसुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन-07915732

उसी दिन हमारे द्वारा
प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट
सनदी लेखाकार
फ़र्म - पंजीकरण संख्या-322926ई
ह/-
(सीए राजेंद्र कुमार दास)
भागीदार
सदस्य संख्या. 057342

स्थान- भुवनेश्वर
दिनांक- 27.04.2019